

:: आदेश ::

अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट के पत्र संख्या 2414/8भू०अ० दिनांक 09.11.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123(507) (हर्वटपुर से बड़कोट बैण्ड) के किमी 75.00 से 101.00 तक (धायरी खड्ड डामटा से नौगांव ब्लाक) तक भाग के दो लेने चौड़ीकरण निर्माण हेतु 63.720 है० भूमि हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बड़कोट द्वारा अपने पत्र संख्या मेमो/१०का०/विविध-जांच/2015-16 दिनांक 16.01.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राजस्व उपनिरीक्षक कुवां, राजस्व उपनिरीक्षक गातू एवं राजस्व उपनिरीक्षक कण्डारी से जांच करवायी गयी । जांच आख्यानसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना तहसील बड़कोट के अन्तर्गत प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि मौजा ग्राम भुनडगांव में खसरा सं० 344 रक्बा 1.095 है०, ग्राम कण्डारी में खसरा सं० 1121 रक्बा 3.000, 1136 रक्बा 0.209, 1145 रक्बा 2.000, 1147 रक्बा 2.928 है०, 1151 रक्बा 1.750 है०, 1149 रक्बा 6.019 है० ग्राम खमुण्डीमल्ली में खसरा सं० 2663 रक्बा 5.000 है० एवं ग्राम खिर्मु में खसरा सं० 01 रक्बा 3.550 है० खसरा सं० 7 रक्बा 7.634 है०, 8 रक्बा 6.757 है० ग्राम सिंगुणी में खसरा सं० 318 रक्बा 2.535 है० 319 रक्बा 7.986 है०, ग्राम फिपियारा के खसरा सं० 955 रक्बा 6.205 है०, 956 रक्बा 7.052 है०, कुल 63.720 है० भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज अभिलेख है । उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई ईमारती वृक्ष, गौचर, घनघट या सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। उक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण दिये जाने हेतु संस्तुति की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स") के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनाओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत और जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुने भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः तहसीलदार, बड़कोट द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मौजा ग्राम भुनडगांव में खसरा सं० 344 रक्बा 1.095 है०, ग्राम कण्डारी में खसरा सं० 1121 रक्बा 3.000, 1136 रक्बा 0.209, 1145 रक्बा 2.000, 1147 रक्बा 2.928 है०, 1151 रक्बा 1.750 है०, 1149 रक्बा 6.019 है० ग्राम खमुण्डीमल्ली में खसरा सं० 2663 रक्बा 5.000 है० एवं ग्राम खिर्मु में खसरा सं० 01 रक्बा 3.550 है० खसरा सं० 7 रक्बा 7.634 है०, 8 रक्बा 6.757 है० ग्राम सिंगुणी में खसरा सं० 318 रक्बा 2.535 है० 319 रक्बा 7.986 है०, ग्राम फिपियारा के खसरा सं० 955 रक्बा 6.205 है०, 956 रक्बा 7.052 है०, कुल 63.720 है० भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने का स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है ।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer

N.H. Division, P.W.D.
Barkot (Uttarkashi)

(विनय शंकर पाण्डेय)

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2153 /आठ-एम0बी0 (2012-13)

दिनांक 12 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट ।
- 4- तहसीलदार, बड़कोट।

Photo Copy Attested

Asistant Engineer
M.H. Division, P.W.D.
Barkot (Uttarkashi)

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

NE/अमीन
सूचना श्रेणी भावने 3
कार्यवाही हेतु
16/02/2016

पी०एस०यू० (आर०ई०) ०३ रा०परि० / २८-३०-०५-२०१४-५०,००० फार्म (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

[illegible]

[illegible]

13. $\frac{1}{2} \ln 2$

3

उद्धारण खेतोनी N2A मौजा भुनडगोव राठ उर मि क्षेत्र-उमरा तहसील-बस्कोट जिला उत्तरकाशी
फर वर 1421 से 1426 फर तक

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तराखाड सरकार	4	14.329					
वर्जि व(उ)उर X	2	2.400					
	3	5.678					
	X	X					
	X	X					
	342 0008						
	344 13.729						
	347 6.934						
	X	X					
	X	X					10
	747 0044						
	749 0090						
	751 0006						
	X	X					
	X	X					15
	909 0121						
	911 0012						
	914 0824						
योग →	342	150.926					20

खतम प्रमाणित दि. 03/16 से तैयार की गयी है

03/16

21.3.16

डा. म.

